कार्यालय :: राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश

सी–1, विक्रान्त खण्ड–1 (निकट शहीद पथ), गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक :5470/एस.सी.डी.आर.सी. / यू.पी. / लेखा(रिफण्ड) / 2017, दि॰14अगस्त, 2017

आदेश

धारा–15 के परन्तुक के अन्तर्गत कार्यालय में जमा सांविधिक धनराशि के भुगतान के संबंध में भविष्य में निम्नवत् निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी –

1. मा. पीठ सांविधिक जमा धनराशि का भुगतान यदि अपीलार्थी को किये जाने के आदेश पारित करती है, तो सांविधिक जमा धनराशि सब्याज, मा. न्यायमूर्ति अध्यक्ष महोदय की अनुमति प्राप्त कर अपील मेमो में अंकित अपीलार्थी के पक्ष में निर्गत रेखांकित चेक के द्वारा डाक के माध्यम से अपीलार्थी को प्रेषित किया जायेगा।

2. अपील में यदि अपीलार्थी की संख्या एक से अधिक होती है तो उन अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता जिस अपीलार्थी के पक्ष में चेक निर्गत करने का लिखित अनुरोध करते हैं, उसके पक्ष में रेखांकित चेक डाक के माध्यम से अपीलार्थी को प्रेषित किया जायेगा।

3. मा. पीठ सांविधिक जमा धनराशि का भुगतान अपीलार्थी को किये जाने के आदेश पारित करती है और यदि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उस सांविधिक जमा धनराशि का रेखांकित चेक डाक के माध्यम से अपीलार्थी को प्रेषित किये जाने के स्थान पर वह स्वयं उसे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने का लिखित अनुरोध करता है तो पत्रावली में उनका वकालत–नामा होने पर उन्हें चेक व्यक्तिगत रूप से दिया जा सकता है।

4. ऐसी अपीलें जिनके अपीलार्थी, सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग / प्राधिकरण / संस्थान कार्यालय आदि हैं, मात्र उन्हीं के सम्बन्ध में यह सुविधा होगी कि जब मा. पीठ सांविधिक जमा धनराशि का भुगतान अपीलार्थी को किये जाने के आदेश पारित करती है और अपीलार्थी स्वयं के स्थान पर उक्त सरकारी / अर्द्धसरकारी विभाग / प्राधिकरण / संस्थान कार्यालय आदि के किसी अन्य अधिकारी / प्राधिकारी के पक्ष में सांविधिक जमा सब्याज धनराशि का चेक प्राप्त करने हेतु इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करता है कि उक्त अधिकारी / प्राधिकारी के नाम से ही खाता संचालित है, ऐसी दशा में सांविधिक जमा सब्याज धनराशि का चेक प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी के लिखित रूप में 'प्राधिकार–पत्र' डाक के माध्यम से प्रेषित करने पर चेक उक्त अधिकारी / प्राधिकारी के पक्ष में निर्गत किया जा सकता है।

5. मा. पीठ सांविधिक जमा धनराशि का भुगतान अपीलार्थी को किये जाने का आदेश पारित करती है और अपीलार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता के रूप में एक से अधिक विद्वान अधिवक्ता सांविधिक जमा सब्याज धनराशि का चेक प्राप्त करने का अनुरोध करते हैं तो सम्बन्धित चेक किसी भी विद्वान अधिवक्तागण को दिये जाने के स्थान पर अपीलार्थी को ही डाक के माध्यम से प्रेषित कर दिया जायेगा।

(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान)
अध्यक्ष 14/8/2017

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मा. सदस्यगण, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ॰प्र॰, लखनऊ।
2. वरि॰प्रशा॰अधि॰, निबन्धन / वरि॰प्रशा॰अधि॰ / सहायक लेखाधिकारी, राज्य आयोग।
3. वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1, मा. न्यायमूर्ति अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग।
4. प्रशासनिक अधिकारी (अभिलेखागार), राज्य आयोग।
5. प्रशासनिक अधिकारी (अधिष्ठान), राज्य आयोग (आदेश को वेब–साइट पर अपलोड कराने के आशय से)
6. 'लेखा' अनुभाग, राज्य आयोग।
7. अध्यक्ष, ऑल यू.पी. कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन बार एसोसिएशन, लखनऊ।
8. नोटिस बोर्ड।

(पंकज कुमार सिंह)
निबन्धक